(104)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक प्र0क0 आर.एन./7–5/आर/441/93 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–4–93 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर निगरानी प्रकरण कमांक 352/1985–86.

1– ओमप्रकाश पुत्र गेन्दालाल
2– रामेश्वर पुत्र गेन्दालाल
3– गणेश पुत्र मृतक राधेश्याम पुत्र गेन्दालाल
4– पंकज पुत्र मृतक रामचन्द्र पुत्र गेन्दालाल
निवासीगण ग्राम सैगांव
तहसील सैगांव जिला पश्चिम निमाड़ .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन
2– (अ) गुलाब पुत्र हिरिया
(ब) कैलाश पुत्र भुवान
निवासीगण ग्राम चितरी
तहसील धारणी जिला अमरावती (महराष्ट्र) .....अनावेदकगण

श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–4–93 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–84 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कलेक्टर खरगोन के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्थगन की मांग की गई । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 55/अ–23/85–86 दर्ज कर दिनांक 23–6–86 को आदेश पारित कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया

गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–4–93 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए प्रकरण गुण–दोष के आधार पर निराकरण हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ पेशी दिनांक 11–10–2017 को आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित किया गया । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों तथा अनावेदक कमांक 1 शासन के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण का वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1953 से बतौर सिकमी कब्जा था, जिसके कारण दिनांक 2–10–59 को वे अधिपति कृषक पश्चात भूमिस्वामी हो गये थे और विवरणी देने की तथा संहिता की धारा 165 (6) के अन्तर्गत कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(2) जब कलेक्टर द्वारा अपील ग्राह्य कर ली गई थी, तब ऐसी स्थिति में आवेदकगण का कब्जा 1953 से लगातार होने तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदकगण के पक्ष में होने से कलेक्टर को स्थगन देना चाहिए था, जिस पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा कानूनी मुद्दों के विपरीत बिना कानूनी आधार के कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में कानूनी त्रुटि की है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक, अनियमित एवं क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किया जाये ।

तर्कों के समर्थन में 1984 आर.एन. 197, 1988 आर.एन. 169, 1986 आर.एन. 106 एवं 1991 आर.एन. 236 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा सुविधा का सन्तुलन आवेदकगण के पक्ष में नहीं होने से स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है और जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने में उचित

कार्यवाही की गई है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन आवेदकगण के पक्ष में नहीं होने से कलेक्टर द्वारा आवेदकगण का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश से सहमत होते हुए निगरानी निरस्त कर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं । मात्र स्थगन के बिन्दु पर इस न्यायालय में यह दूसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसके कारण यह प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है । अतः प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे यथाशीघ्र गुण–दोष पर प्रकरण का निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–86 एवं अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–4–93 स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर